

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)
निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:- 56/2017 अपील (राजस्व)

श्री खेमराज पुत्र वरदा डांगी निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट विरुद्ध निर्णय एवं आदेश
तहसीलदार वल्लभनगर, प्रकरण संख्या 832/2017 ना.क. निर्णय
दिनांक 06.11.17

उपस्थित: (1) श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता अपीलार्थी
(2) श्री मनोज पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- **26.03.18**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का धमानिया द्वारा आराजी संख्या 524, 499, 534 रकबा 1 बिघा नाजायज कब्जा बाबत रिपोर्ट तहसीलदार वल्लभनगर को प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 06.11.17 का नोटिस दिया जाकर अपना पक्ष रखने हेतु उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया। उक्त दिनांक को अपीलार्थी द्वारा उपस्थित हो साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.17 का अवसर प्रदान कर दिया गया। परन्तु बाद में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.11.17 को ही बेदखली के आदेश व 50 रुपये

शास्ति के आदेश प्रदान कर दिये गये। उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर कानूनन निरस्त योग्य हैं। जबकि न्यायालय द्वारा ही अपीलार्थी को दिनांक 09.11.17 की तारीख पेशी वास्ते साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने हेतु दिये गये। उक्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा ऋण लेकर आवासीय मकान बनाया है जिसमें परिवार सहीत निवास करता हैं। मवेशियो के रखने का बाड़ा भी बना रखा है। कुँआ भी खुदवा रखा है। पिछले 20–25 वर्ष से अपीलार्थी का इस भूमि पर कब्जा है। इस भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव भी वर्ष 2015 में ग्राम सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज फरमाते हुए भूमि का नियमन अपीलार्थी के नाम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस से तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौजा धमानिया पटवारी हल्का धमानिया तहसील वल्लभनगर की आराजी संख्या 524, 499, 534 रकबा 1 बिघा भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 20–25 वर्ष से कब्जा होकर अपीलार्थी द्वारा ऋण लिया जाकर इस भूमि पर रिहायशी मकान भी बनाया है। गायो का बाड़ा भी बना रखा है। पानी पीने के लिये कुँआ भी खुदवाया है। उक्त सारे कार्य की लागत हजारो रूपये हैं। अपीलार्थी द्वारा इस भूमि को काफी लागत व मेहनत से आबादान किया गया है। अपीलार्थी काफी गरीब काश्तकार हैं। इस भूमि पर निर्मित मकान में परिवार सहित निवास करता है। 2015 में ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा में प्रस्ताव पारित कर इस भूमि को आबादी में लिये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को निवेदन किया गया था। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य सबुत प्रस्तुत

करने हेतु दिनांक 06.11.17 की तारीख पेशी पर समय चाहा गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा समय दिया जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 09.11.17 प्रदान की गई। इसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पुनः दिनांक 06.11.17 में अपीलार्थी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि से बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये एवं 50 रुपये की शास्ति आरोपित की गई। परन्तु एक दुसरी आदेशिका में दिनांक 06.11.17 में यह भी लिखा है कि पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य से भीण्डर हैं। पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 09.11.17 को पेश हों। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.11.17 में एक साथ में दो विपरीत आदेश पारित किये हैं। एक आदेश में तो अपीलार्थी को बेदखली के आदेश पारित किये हैं। एक आदेशिका में पीठासीन अधिकारी का भीण्डर चुनाव कार्य से जाना बताया गया है। इस प्रकार से न्यायालय के आदेश में ही विरोधाभास हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.11.17 को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया। जिसमें समय भी दिया गया। उसके बाद में पुनः बेदखली के आदेश पारित किये गये है जो न्याय एवं विधि के विरुद्ध होकर काबिल निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.17 को निरस्त फरमाकर वादग्रस्त भूमि का नियमन अपीलार्थी के नाम किये जाने के आदेश तहसीलदार वल्लभनगर को दिये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपनी बहस में अपीलार्थी के कथनो का पुरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का धमानिया द्वारा राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार वल्लभनगर को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा मौजा धमानिया की आराजी संख्या 524, 499, 534 रकबा 1 बिघा भूमि किस्म चरागाह पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा विधिवत धारा 91 का नोटिस

अपीलार्थी को जारी किया गया। नोटिस के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 06.11.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में बेदखली के आदेश नियमानुसार जारी किये गये एवं प्रावधानानुसार शास्ति 50/- रूपये आरोपित की गई। अपीलार्थी द्वारा किस्म चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है। चरागाह की भूमि सिर्फ ग्राम की पशुधन के चरागाह के लिये ही उपयोग में ली जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर भूमि को हथियाने की कुचेष्टा की गई है। जिसके फलस्वरूप ही अपीलार्थी को बेदखली के आदेश दिये गये हैं। जो कानून सम्मत होकर आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की कानुनी त्रुटी नहीं की गई है। यदि भूलवंश लिपिक द्वारा पुनः दिनांक 06.11.17 की आदेशिका मुल आदेश के पीछे लिख दी गई है तो वह नहीं देखी जा सकती है। जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी आदेशिका लिपिक द्वारा क्योकर लिखी गई जिसका पता लिपिक से ही लग सकता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैध होकर निरस्त होने योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण किस्म चरागाह भूमि पर किया गया। जिसका नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहीर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस विधिवत दिया गया। अपीलार्थी को सुनकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 06.11.17 के अग्रिम तारीख पेशी दी गई। इसी दिनांक को अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किये गये। परन्तु अपीलार्थी के जो हस्ताक्षर उपस्थिति के

लिये गये है लिपिक द्वारा लिखी गई आदेशिका पर लिये गये हैं। जबकि पारित आदेश पर अपीलार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ देते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर का आदेश दिनांक 06.11.17 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारानों को पुनः नये सीरे से विधिवत सुना जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण की सुनवाई विधिवत साक्ष्य सबुतों के आधार पर गुणावगुण पर आदेश पारित किया जावे।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर